१८० -

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो./ परीक्षा II/2021/ 8-76 दिनांक : 26/02/2021

कार्यालय आदेश

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार गठित समिति की अनुशंषा दिनांक 24.02.2021 एवं माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 26.02.2021 के अनुपालन में स्वअध्ययन, पात्रता प्रमाण–पत्र एव संवीक्षा उपरान्त प्रलेख प्रेषण एवं परीक्षार्थी के नाम, पिता, माता एवं जन्मतिथि संबंधी नियमों/उपनियमों बोर्ड अनुदेशिका–2020 के पृष्ट संख्या–8–21 में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किये जाते है। इनके अलावा शेष नियम यथावत लागू रहेंगे :–

1. वर्तमान में CBSE एवं State Open School की पात्रता शाला प्रधान स्तर पर ऑनलाईन जारी किये जाते है तथा शेष बोर्ड से जारी प्रलेखों की जांच उपरान्त बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी की जाती है के स्थान पर अब राजस्थान बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी बोर्ड (बोर्ड अनुदेशिका में उल्लेखित) से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के पात्रता भी CBSE एवं State Open School के अनुसार ही ऑनलाईन जारी किये जावे। शाला प्रधान ऑनलाईन जारी पात्रता व छात्र के मूल प्रलेखों की शाला प्रधान से प्रमाणित फोटोप्रति बोर्ड आवेदन पत्र के साथ बोर्ड कार्यालय को प्रेषित करेंगे, जिसकी जांच बोर्ड कार्यालय में संबंधित शाखा परीक्षा–I में सहायक प्रथम एवं सहायक अनुभाग अधिकारी के स्तर पर की जाए।

   पात्रता प्रमाण पत्र नियमानुसार नहीं पाये जाने पर अथवा पात्रता प्रमाण पत्र बनवानें में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता पाये जाने पर **तीन गुना शास्ति शुल्क लिया जायेगा** और उन्हे ऑनलाईन पात्रता प्रभावी नियमानुसार जारी की जाएगी। फर्जी/कूटरचित प्रलेखों के आधार पर पात्रता जारी किये जाने की पुष्टि हो जाने के उपरान्त बोर्ड द्वारा छात्र का परिणाम निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिये संबंधित शाला प्रधान एवं छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे। (अनुदेशिका–2020 के पृष्ठ संख्या–08 अनुच्छेद 1.7 से 1.8 के बिन्दु सख्या–अ, ब, स एवं पृष्ठ संख्या–12)
2. स्वः अध्ययन की अनुज्ञा परीक्षा प्रथम स्तर से ही बोर्ड नियमानुसार सहायक अनुभाग अधिकारी/अनुभाग अधिकारी द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर जारी की जावे। (अनुदेशिका–2020 के पृष्ठ संख्या–13 व 14 के बिन्दु संख्या–3)
3. संवीक्षा की संशोधित अंक तालिकायें व प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित आई. टी. शाखा से सीधे परीक्षा प्रथम के संबंधित सैल के माध्यम से विद्यालय को भिजवाई जायेगी।
4. संशोधन की प्रकिया, आधार एवं प्रावधानों अनुदेशिका–2020 के पृष्ठ संख्या–15 (बिन्दु संख्या–5 अनुच्छेद 1 से 9) से पृष्ठ संख्या–18 के प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किये जाते है :–

क्र.	त्रुटि विवरण	संशोधित प्रावधान	परीक्षा वर्ष से संशोधन	पत्रावली निस्तार
1	1. स्पेस हटाना अथवा लगाना। 2. वर्तनी संशोधन स्वयं, माता तथा पिता के नाम में। 3. वर्तनी संशोधन, स्वर (जैसे A, E, I, O, U) हटाने अथवा लगाने तथा (व्यंजन Single अथवा Double हटाने अथवा लगाने आदि) 4. बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा के प्रलेखों में नाम, पिता, एवं माता के नाम, में भिन्नता होने पर (बोर्ड की परीक्षा के अलावा निम्न/उच्च शिक्षण संस्थान के प्रलेखों के आधार पर) (नाम के मध्य में जहां वर्तनी संशोधन से नाम परिवर्तन नहीं होता है)	बोर्ड की माध्यमिक/उच्च माध्यमिक अथवा स्कूल स्तर की परीक्षा अथवा कॉलेज/विश्वविद्यालय अथवा उच्च/अन्य मान्य संस्थान की परीक्षा के किसी भी प्रलेख के आधार पर परीक्षार्थी के प्रार्थना पत्र, सादे कागज पर शपथ पत्र के आधार पर समानता/परीक्षार्थी द्वारा चाहे अनुसार सशुल्क संशोधन किया जावे, परन्तु परीक्षार्थी उक्त कोई प्रलेख प्रस्तुत नहीं कर संशोधन चाहे तो विद्यालय का पत्र, एस.आर. रजिस्टर, टी.सी. व प्रवेश आवेदन पत्र की शाला प्रधान से प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत करनें पर भी संशोधन किया जावे। नोट :– (1) विद्यालय के मूल अभिलेख मंगवाये जाने की आवश्यकता नहीं है। (2) यदि वर्तनी संशोधन से नाम के रूप अथवा स्वरूप में परिवर्तन/संशोधन होता है तो संशोधन की कार्यवाही बिन्दु 02 के अनुसार की जायेगी।	अवधि का बंधन नहीं	सहायक निदेशक, (परीक्षा–II)
2	प्रलेखों में भिन्नता (बोर्ड द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में)	शाला रिकॉर्ड यथा स्कॉलर रजिस्टर (S.R.) प्रवेश आवेदन पत्र व पूर्व शाला का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर संशोधन किया जा सकेगा। किन्तु यदि बोर्ड प्रलेखों यथा माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक में पंजीकृत नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं उपनाम तथा शाला रिकॉर्ड में पंजीकृत उपरोक्त नामों में भिन्नता होनें पर केवल संबंधित शाला रिकॉर्ड के अनुसार ही संशोधन किया जा सकेगा।	अवधि का बंधन नहीं	उप निदेशक (परीक्षा–II)

26/2/21

क्र.	त्रुटि विवरण	संशोधित प्रावधान	परीक्षा वर्ष से संशोधन	पत्रावली निस्तार
3	उपनाम जोड़ना, हटाना, नाम में संशोधन	शाला के स्कॉलर रजिस्टर (S.R.) प्रवेश प्रार्थना पत्र व पूर्व शाला का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.)/कक्षा 8 डाईट की अंकतालिका की शाला प्रधान से प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनें पर संशोधन किया जावें, किन्तु कक्षा 8 की अंकतालिका/पूर्वशाला के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का संशोधन है तो पूर्व शाला का रिकॉर्ड प्रस्तुत करनें पर ही संशोधन स्वीकार किया जावे। नोट :– (1) विद्यालय के मूल अभिलेख मंगवाये जाने की आवश्यकता नहीं है। (2) यदि वर्तनी संशोधन से नाम के रूप अथवा स्वरूप में परिवर्तन/संशोधन नहीं होता है तो संशोधन की कार्यवाही बिन्दु 01 के अनुसार की जायेगी।	2001 के बाद से 5 वर्ष की समय सीमा लागू नहीं होगी। शेष नियम पूर्ववत लागू रहेंगे।	मुख्य परीक्षा नियंत्रक
4	माता के नाम में संशोधन/वर्तनी संशोधन, उपनाम, अथवा स्पेस जोडना/हटाना नोटः– विवाह उपरान्त माता के उप नाम अथवा मूल नाम में परिवर्तन हो जाता है तो उक्त बाबत संशोधन किये जाने हेतु।	माता का नाम बोर्ड प्रलेखों में वर्ष 2001 से पहली बार जोड़ा गया था तथा प्रारम्भिक 1–2 वर्ष में यह स्वैच्छिक था कि छात्र चाहे तो माता का नाम अंकन करें, अनिवार्य नहीं था। व्यवहार रूप में विद्यालयों के रिकॉर्ड में भी माता का नाम पूर्ण रूपेण संधारण नहीं हुआ। ऐसे प्रकरण में कोई भी एक साक्ष्य, आवेदन पत्र व सादे कागज पर शपथ पत्र व शाला प्रधान का प्रमाणीकरण मय शुल्क प्रस्तुत करनें पर निम्नानुसार संशोधन किया जा सकेगा :– (1) किसी छात्र नें वर्ष 2001 के पश्चात यदि स्वैच्छिक रूप से माध्यमिक में माता का नाम नहीं जुड़वाया और उच्च माध्यमिक में छात्र की माता का नाम पंजीकृत है, तो समानता के आधार पर उच्च माध्यमिक के अनुसार माध्यमिक परीक्षा में भी माता का नाम जोड़ा जा सकेगा। (2) माता का देहान्त, अथवा सम्बन्ध विच्छेद आदि विशिष्ट प्रकरण प्राप्त होने पर माता के नाम का मूल आधार जन्म देनें वाली माता ही रहेगा। दूसरा विवाह होने पर दूसरी माता का नाम दर्ज नहीं किया जावेगा। (3) इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण आने पर सचिव के निर्णयाधीन रहेगा उनके द्वारा उचित समझे जाने पर संशोधन किया जा सकेगा।	अवधि का बंधन नहीं	उप निदेशक (परीक्षा–II)
5	अन्य बोर्ड/संस्थान से परीक्षा उत्तीर्ण होनें के पूर्व/पश्चात राजस्थान बोर्ड से अगली परीक्षा देनें (जैसे – माध्यमिक परीक्षा CBSE से दी उच्च माध्यमिक राजस्थान बोर्ड से दी) पर संशोधन।	(1) अन्य राज्य के बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र राजस्थान बोर्ड से मान्यता प्राप्त शाला में प्रवेश लेता है तो सम्पूर्ण विवरण पूर्व रिकॉर्ड अनुसार पंजीकृत किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता होने पर अन्य बोर्ड प्रलेखों के आधार पर उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रलेखों में समानता के आधार पर शाला प्रधान के पत्र, छात्र का प्रार्थना पत्र मय सादे कागज पर शपथ पत्र के आधार पर संशोधन स्वीकार किये जायेंगे। किन्तु छात्र यदि राजस्थान बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण है और उच्च माध्यमिक अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण तथा छात्र के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक प्रलेखों में भिन्नता है और छात्र संशोधन चाहता है तो उसके माध्यमिक प्रलेखों में शाला रिकॉर्ड यथा स्कॉलर रजिस्टर, पूर्व शाला का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं प्रवेश आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रतियों के अनुरूप उक्त निर्धारित संशोधन किया जा सकेगा। (2) गुजरात एवं महाराष्ट्र बोर्ड से माध्यमिक उत्तीर्ण छात्र इस बोर्ड में प्रवेश लेते है तो प्रायः देखनें में आता है कि इन बोर्ड में छात्र के नाम में उपनाम पहले फिर छात्र का नाम एवं पिता का नाम शामिल होता है।	अवधि का बंधन नहीं	उप निदेशक, (परीक्षा–II)

26/4/21

		जबकि राजस्थान बोर्ड में छात्र का नाम पहले व उपनाम बाद में तथा पिता का नाम अलग कॉलम में लिखा जाता है। ऐसे छात्रों का सेना या अन्य संस्थानों में प्रवेश/नौकरी लगने पर प्रलेखों में भिन्नता बताकर प्रवेश या चयन निरस्त कर दिया जाता है। अतः ऐसे छात्रों को संशोधित प्रलेख तो बोर्ड नियमानुसार जारी नहीं किये जा सकते है किन्तु इस आशय का स्पष्टिकरण बोर्ड की वेबसाईट एवं अनुदेशिका में उल्लेखित कर दिया जावे की बोर्ड नियमानुसार छात्र का नाम एवं पिता का नाम अलग–अलग कॉलम में अंकित किया जाता है जो पूर्व बोर्ड अनुसार सही है।		
6	जन्मतिथि में संशोधन	जन्मतिथि में संशोधन हेतु शाला का मूल स्कॉलर रजिस्टर (S.R.) प्रवेश आवेदन पत्र व पूर्व शाला का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) के आधार पर संशोधन स्वीकार किया जावे। किसी भी प्रकार का संशोधन यदि (S.R.), पूर्व शाला की T.C. अथवा प्रवेश आवेदन पत्र में हो तो इससे पूर्व शाला का उपरोक्त रिकॉर्ड तलब किया जावे।	5 वर्ष की समयावधि	सचिव
7	महिला परीक्षार्थी के नाम से पूर्व छपे Kum/Ms/Mrs. हटानें हेतु	ऐसी छात्राओं को संशोधित प्रलेख तो बोर्ड नियमानुसार जारी नहीं किये जा सकते, किन्तु इस आशय का पत्र अवश्य जारी किया जा सकता है कि kum/ms/mrs. परीक्षार्थी के नाम में शामिल नहीं है।	अवधि का बंधन नहीं।	सहायक निदेशक, (परीक्षा–II)

5. <u>संशोधन शुल्क</u> सभी प्रकार के संशोधन हेतु मूल संशोधन शुल्क 300/– (प्रति परीक्षा) तथा वर्तनी संशोधन के पूर्व वर्ष के लिये रूपये 100/– प्रति वर्ष विलम्ब शुल्क लिया जावेगा। यदि किसी परीक्षार्थी के एक परीक्षा के नाम, पिता अथवा माता के नाम, जन्मतिथि में (एक से अधिक) संशोधन होते है तो भी एक ही शुल्क लिया जावेगा। एक ही नामांक का अधिकतम शुल्क रूपये 3000/– प्रति परीक्षा देय होगा। (अनुदेशिक–2020 के पृष्ठ संख्या–17 के बिन्दु संख्या–5 अनुच्छेद–2)
6. संशोधन संबंधी प्रकरण का निस्तारण शुल्क जमा होने के 7 कार्य दिवस में किया जाकर संशोधित प्रलेख अनिवार्य रूप से 15 कार्य दिवस में स्पीड पोस्ट द्वारा परीक्षार्थी के पते पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें। संशोधन प्रकरण में परीक्षार्थी का मोबाईल नम्बर दर्ज करवाया जावे एवं डाटा में संशोधन होने पर परीक्षार्थी को SMS द्वारा सूचित किया जावें ताकि छात्र/छात्रा चाहे तो बोर्ड विद्यार्थी सेवा केन्द्र अथवा Online Portal से प्रतिलिपि सशुल्क मंगवा सके।
7. संशोधित प्रलेख परीक्षार्थी को उसके द्वारा संशोधन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित छात्र के पते पर डाक द्वारा सीधे प्रेषित किये जावें। यदि परीक्षार्थी स्वयं एवं परिजन कार्यालय में उपस्थित है तो स्वप्रमाणित आई.डी. के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें पर व्यक्तिशः दिया जाकर प्राप्ति ली जावे। संशोधन पत्र की एक प्रति सम्बन्धित शाला को भेजी जावे तथा परीक्षार्थी को जारी पत्र में यह भी निर्देशित किया जावे कि विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यालय अभिलेखों में भी संशोधन करवा लें। संशोधित मूल प्रलेखों को शाला प्रधान से पृष्ठांकित अवश्य करवा लेवें।
8. प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ सादे कागज पर शपथ पत्र व स्वप्रमाणित आधार कार्ड या कोई भी मान्य आई.डी. की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
9. जहां विद्यालय से प्रलेख मंगवाये जाते है, उन प्रकरणों में सक्षम अधिकारी कार्यालय में नहीं होने अथवा परीक्षार्थी द्वारा अपूर्ण प्रलेख लाने पर सक्षम अधिकारी (सहायक निदेशक स्तर) फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित कर रिकॉर्ड पर रखेगा जिसके आधार पर आगे मूल प्रलेख मानते हुए सम्पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर कार्यवाही/प्रकरण का निस्तारण किया जा सकेगा।
10. विद्यालय प्रलेखों में संशोधन हेतु शिक्षा विभागीय नियमों के अन्तर्गत वर्तमान प्रकिया यथावत रहेगी। प्रत्येक परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर तक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये संशोधन आदेश मान्य रहेंगे, किन्तु ऐसे प्रकरण जिसमें छात्र के कक्षा 1 अथवा अन्य स्तर पर शाला रिकॉर्ड व माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय रिकॉर्ड में भिन्नता पाई जाती है और छात्र बोर्ड परीक्षा में पंजीकृत हो चुका है तो पूर्व शाला के रिकॉर्ड के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश 31 दिसम्बर बाद भी मान्य होंगे।
11. बोर्ड की त्रुटि– यदि किसी प्रकरण में प्रवेश पत्र, परीक्षार्थी के आवेदन अथवा अन्य साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि त्रुटि बोर्ड स्तर पर हुई है तो बिना कोई साक्ष्य प्राप्त किये प्राथमिकता से संशोधन की कार्यवाही की जावे। ऐसे प्रकरणों में छात्र से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।
12. जहां बोर्ड परीक्षाऐं अथवा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक अंकित है, का आशय बोर्ड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाऐं यथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, ओपन, व्यावसायिक अथवा अन्य जो परीक्षाऐं इस बोर्ड द्वारा आयोजित की गई माना जावेगा।

26/2/24

13. व्यवहार रूप में ऐसा देखा गया है कि अनेको ऐसे प्रकरण आते है जो उपरोक्त में परिभाषित नहीं हो रहे अथवा उक्त नियमों में सम्मिलित नहीं हो रहे परन्तु उनके प्रकरण व्यावहारिक रूप से तर्क संगत एवं उचित लगते है तो ऐसे प्रकरणों को प्रथमतः उप विधि परामर्शी अथवा सहायक विधि परामर्शी, उप निदेशक परीक्षा–प्रथम, उपनिदेशक परीक्षा द्वितीय व सहायक निदेशक परीक्षा द्वितीय की समिति के समक्ष उप निदेशक परीक्षा द्वितीय की स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावेगा। समिति यदि प्रकरण/वाछित संशोधन को तर्क संगत व परीक्षार्थी के भविष्य को मध्यनजर रखते हुए संशोधन उचित पाये जावे तो वांछित संशोधन किये जाने की अनुशंषा कर सकेगी। **समिति की अनुशंषा के आधार पर संशोधन (जन्म तिथि के अतिरिक्त) मुख्य परीक्षा नियंत्रक के स्तर तथा जन्मतिथि के प्रकरणों में सचिव को विशेष रूप से संशोधन स्वीकार किये जाने का अधिकार रहेगा।**
14. कार्यालय स्तर पर जो प्रकरण लम्बित है, उन्हे संशोधित नियमों के परिपेक्ष्य में पुनः समीक्षा कर आदेश जारी होने के एक सप्ताह में निस्तारित किये जावेंगे।
15. अब तक विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण चल रहे है उनका निस्तारण उक्त संशोधित नियमों के परिप्रेक्ष्य में पुनः समीक्षा कर संशोधन की कार्यवाही की जावे तथा वांछित संशोधन नये नियमों के अन्तर्गत आता है तो संशोधन कर संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी के स्तर पर प्रस्तुत किया जावेगा।। कोई विशिष्ठ बिन्दु आने पर समिति की अनुशंषा प्राप्त कर प्रशासनिक आदेश से निस्तारण किया जा सकेगा ताकि न्यायालय प्रकरणों में कमी रहे बोर्ड का अनावश्यक श्रम/धन व्यर्थ नहीं हो।
16. उक्त संशोधन प्रकिया कार्यालय आदेश जारी करनें की दिनांक से प्रभावी होगी।
17. परीक्षा शाखा द्वितीय द्वारा जो संशोधन किये जाते है उनके दोनों TR (परीक्षा द्वितीय एवं गोपनीय शाखा) में संशोधन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
18. प्रतिलिपि प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करनें वाले छात्रों को स्वयं, माता–पिता, भाई–बहन अथवा पति–पत्नि के उपस्थित होने पर छात्र एवं परिजन का आधार कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनें पर उसी दिन मोबाईल नम्बर अंकित करवाते हुए सांय 4:30 बजे तक व्यक्तिशः दिया जा सकेगा।

26/2/2021
(अरविन्द कुमार सेंगवा)
सचिव

क्रमांक : मा.शि.बो./ परीक्षा II/2021/ 877–942 दिनांक : 26/02/2021

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय।
2. निजी सचिव, सचिव मा0शि0बोर्ड, राजस्थान।
3. निजी सहायक, विशेषाधिकारी परीक्षा।
4. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार।
5. निजी सहायक, मुख्य परीक्षा नियंत्रक।
6. निजी सहायक, निदेशक गोपनीय
7. उपनिदेशक (परीक्षा)/(परीक्षा–II)/गोपनीय/
8. ए.सी.पी. (आई.टी. सैल)
9. सहायक निदेशक (परीक्षा)
10. सहायक निदेशक (परीक्षा II)
11. अनुभाग अधिकारी – समस्त शाखा।
12. रक्षित पत्रावली

26/2/21
(गणेश चौधरी)
उपनिदेशक(परीक्षा –II)